

अवैध ई-टिकट बनाने वालों दलालों पर आरपीएफ ने की कारवाई

127 रेलवे आरक्षण ई-रेल टिकटों को किया जप्त

जबलपुर 29 जून। रेल प्रशासन ने अनाधिकृत रूप से रेल टिकट बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। गर्मी के सीजन को देखते हुए रेल प्रशासन ने "ऑपरेशन उपलब्ध" के तहत अवैध ई टिकट का कारोबार करने वाले दलालों के खिलाफ रेल सुरक्षा बल के नेतृत्व में छापामार कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसके तहत रेल सुरक्षा बल पोस्ट न्यू कटनी जंक्शन द्वारा कार्यवाही में रुपये 1,46,873/- कीमत के कुल 127 ई-रेल टिकटों को जप्त करके रेल अधिनियम धारा 143 के तहत कार्यवाही की गयी। रेल सुरक्षा बल द्वारा आरपीएफ उपनिरीक्षक कमल सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अजय सिंह कछवाह, प्रधान आरक्षक आशुतोष अवस्थी, प्रधान आरक्षक संजय समाधिया, आरक्षक इन्द्रराज यादव, आरक्षक अरविंद यादव के साथ दिनांक 28.06.2022 को सूचना के आधार पर ब्यौहारी में रेल टिकटों का अवैध कारोबार करने में लिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

प्रशांत कम्प्यूटर ऑनलाइन ब्यौहारी में चेक करने पर दूकान संचालक के संचालक प्रशांत गुप्ता द्वारा रेलवे अधिकृत एजेंट के अनुमति के बिना अपनी पर्सनल यूजर आईडी एवं एजेंट आईडी से ई-टिकट के माध्यम से चार आईडी से 125 रेल ई-टिकटें जिनकी कुल कीमत रुपए 1,45,111/- और 02 लाइव टिकट कीमत रुपए 1762/- सहित कुल 127 रेल ई-टिकटें जिनकी कुल कीमत रुपए 1,46,873/- रुपए टिकटें तथा एक नाग सीपीयू की जप्ती के साथ पकड़ा गया। उक्त दलाल के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्यवाही कर रेलवे न्यायालय में पेशा कर कार्यवाही की गई।

पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मण्डल के आरपीएफ कमांडेंट ने रेल सुरक्षा बल की टीम को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने भी रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे की सम्पत्ति एवं सुरक्षा के लिए सराहना की उल्लेखनीय है आगे भी "ऑपरेशन उपलब्ध" के तहत रेल सुरक्षा बल द्वारा ई-रेल टिकट की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ कार्यवाही जारी रहेगी।

संख्या: पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/218/2022

दिनांक 29.06.2022

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें।

सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर